भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2935

मंगलवार, 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिहार औद्योगिक निवेश पैकेज

2935. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के लिए किन विशेष औद्योगिक निवेश पैकेजों की घोषणा की गई है;

(ख) इन पैकेजों में शामिल प्रोत्साहन और लाभ क्या हैं;

(ग) अब तक कितनी कंपनियों ने इन निवेश पैकेजों का लाभ उठाया है;

(घ) क्या गोपालगंज जैसे जिलों के लिए किन्हीं परियोजनाओं को विशेष रूप से अनुमोदित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बिहार में रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पैकेजों को किस प्रकार लागू किया गया है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): औद्योगिक क्षेत्र के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय करते हैं। केंद्र सरकार, बिहार सहित पूरे देश में उद्योगों के समग्र विकास और संवर्धन के लिए, विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों को पूरक रूप में सहयोग प्रदान करती है। इन पहलों में निवेश संवर्धन स्कीम, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (ईओडीबी) तथा अनुपालन बोझ को कम करने से संबंधित पहलें, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोरों के अंतर्गत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी), स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में सुधार, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) आदि शामिल हैं, जो देशभर में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना को सुगम बनाते हैं।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (बीआईआईपीपी), 2025 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 26 अगस्त, 2025 को अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस पैकेज का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और व्यापक पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना है। इससे औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी, व्यापक पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र सुदृढ़ होगा।

(ख): बीआईआईपीपी, 2025 के तहत निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं:

i. ब्याज सहायता प्रोत्साहन: उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, अनुमोदित परियोजना लागत के 50% की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, 5 वर्षों के लिए 10% (और सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के लिए 12%) की ब्याज सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए कर दी गई है।

ii. कर संबंधी प्रोत्साहन: अनुमोदित परियोजना लागत के अधिकतम 100% के अध्यधीन, 5 वर्षों के लिए 100% तक करों की प्रतिपूर्ति।

iii. भूमि आबंटन: निवेशक 1 रुपए के सांकेतिक मूल्य पर उद्योगों की स्थापना करने के लिए भूमि प्राप्त कर सकते हैं। 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले और कम से कम 1000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाले उद्योगों को 10 एकड़ तक भूमि आबंटित की जा सकती है, जबकि 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले उद्योगों को 25 एकड़ तक भूमि आबंटित की जा सकती है।

(ग): बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन पैकेज, 2025 के तहत अब तक 16 इकाइयों को चरण-1 की मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।

(घ): बीआईआईपीपी, 2025 के तहत गोपालगंज जिले के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में बिहार सरकार के अनुमोदनाधीन चरण में है।

(ङ): बीआईआईपीपी, 2025, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी है, का उद्देश्य बिहार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर सृजित करना है। इसका लक्ष्य राज्यभर में संतुलित, सतत और समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। यह पैकेज बिहार को एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

*****